भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 853
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

ई-कोर्ट परियोजना

853. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा :
श्री मनोज तिवारी :
श्री मुरारी लाल मीना :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्री चमाला किरण रेड्डी :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री बिप्लब कुमार देब :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) ई-कोर्ट परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;
(ख) ई-कोर्ट परियोजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) राजस्थान सहित राज्य-वार ई-कोर्ट परियोजना की कार्यान्वयन स्थिति का ब्यौरा क्या है ;
(घ) त्रिपुरा और राजस्थान में कितने ई-कोर्ट खोले गए/कार्यरत हैं ;
(ङ) उक्त अवधि के दौरान अपेक्षित डिजिटल अवसंरचना वाले न्यायालयों की संख्या और अभी भी डिजिटल किए जाने वाले न्यायालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने न्यायिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार पर ई-कोर्ट परियोजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए कार्यान्वयन के अधीन है । यह परियोजना न्याय विभाग द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय ई-समिति के साथ निकट समन्वय से लागू की जा रही है ।

2. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के पहले चरण को 2011-2015 के दौरान लागू किया गया था, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर की स्थापना, इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और ई-न्यायालय प्लेटफॉर्म को संचालित करने जैसे कम्प्यूटरीकरण की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया था । 935 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय में से कुल 639.41 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था । इस चरण में निम्नलिखित पहलें की गईं :

i. 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया ।

ii. 13,683 न्यायालयों में एलएएन स्थापित किया गया था, 13,436 न्यायालयों में हार्डवेयर प्रदान किया गया था और 13,672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया था ।

iii. 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए और सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंधन अभ्यास पूरा किया गया ।

iv. 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को उबुन्टू-लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था ।

v. 3900 से अधिक न्यायालय कर्मचारिवृंद को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रशिक्षित किया गया था ।

vi. 493 न्यायालय परिसरों और 347 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू की गई थी ।

3. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का दूसरा चरण 2015-2023 के दौरान लागू किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईसीटी सक्षमता और विभिन्न नागरिक केंद्रित पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था । 1670 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय में से 1668.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए । 2023 तक, 18,735 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है । विधिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्याय को सुलभ और सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं, जिससे विधिक प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है :-

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के अधीन, भारत भर के कुल न्यायालय परिसरों में से 99.4% (निर्धारित 2992 में से 2977) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 26.044 करोड़ से अधिक मामलों और 26.047 करोड़ से अधिक के आदेशों/निर्णयों (01.07.2024 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. अनुकूलित मुक्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में जिला न्यायालयों में सीआईएस राष्ट्रीय मूल संस्करण 3.2 लागू किया जा रहा है और उच्च न्यायालयों के लिए सीआईएस राष्ट्रीय मूल संस्करण 1.0 लागू किया जा रहा है ।

iv. मामले की स्थिति, मामला सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश और पुल के माध्यम से (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजा जाता है) , ईमेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजा जाता है), बहुभाषी और स्पर्श ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स दैनिक), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इंफो कियोस्क । इसके अलावा, अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल ऐप (31.05.2024 तक कुल 2.42 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टिस ऐप (31.05.2024 तक 19,893 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

v. भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की सुनवाई करने में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके

31.05.2024 तक 2,33,67,497 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 86,35,710 मामलों (कुल 3.20 करोड़) की सुनवाई की । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 04.06.2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7,54,443 मामलों की सुनवाई की ।

vi. 8 उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ की गई है, इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई है ।

vii. ट्रैफिक चालान मामलों को संभालने के लिए 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों का संचालन किया गया है । 28 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 5.08 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला गया है और 54 लाख (54,72,772) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माने से 31.05.2024 तक 561.09 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई है ।

viii. उन्नत विशेषताओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) शुरू की गई है । प्रारूप ई-फाइलिंग नियमों को तैयार किया गया है और अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया है । कुल 25 उच्च न्यायालयों ने 31.05.2024 तक ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की अपेक्षा होती है, जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड शामिल हैं जो सीधे संचित निधि को देय हैं । कुल 22 उच्च न्यायालयों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है । तारीख 31.05.2024 तक 23 उच्च न्यायालयों के संबंध में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

x. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 1057 ईसेवा केंद्रों को वकील या वादी को सुविधा प्रदान करने के आशय से शुरू किया गया है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ईफाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं । यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है और समय की बचत, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाओं की पेशकश करके सुनवाई वर्चुअल रूप से आयोजित करने के लिए, स्कैनिंग, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंच आदि के द्वारा बचत लागत के संदर्भ में लाभ प्रदान करता है ।

xi. "एक नया ""जजमेंट सर्च"" पोर्टल बेंच द्वारा खोज, मामले के प्रकार, केस नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/ प्रतिवादी नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, निर्णय: तारीख से तारीख और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है ।" यह सुविधा सभी को नि:शुल्क प्रदान की जा रही है ।

xii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम जिसे "जस्टिस क्लॉक" कहा जाता है, स्थापित किया गया है । न्याय घड़ी का उद्देश्य न्याय क्षेत्र के बारे में जनता को जागरूक करना है । 25 उच्च न्यायालयों में कुल 39 न्यायिक घड़ियां स्थापित की गई हैं । वर्चुअल जस्टिस क्लॉक को भी ऑनलाइन होस्ट क्रिया जाता है ।

4. चूंकि ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का दूसरा चरण समाप्त हो रहा था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 2023 से शुरू होने वाली 4 वर्ष की अवधि के लिए 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है । पहले चरण और दूसरे चरण के लाभ को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय तीसरे चरण का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजविहीन न्यायालयों की ओर बढ़कर, विरासत रिकॉर्ड सहित ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों की संतृप्ति के माध्यम से ई-फाइलिंग/ई-भुगतान का सार्वभौमिकरण करके पूरे न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के

माध्यम से न्याय की अधिकतम सहजता की व्यवस्था करना है । ई-न्यायालय तीसरे चरण का उद्देश्य मामलों को निर्धारित या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बुद्धिमत्तापूर्ण स्मार्ट सिस्टम स्थापित करना है । तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, इस प्रकार न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध और कागज रहित इंटरफेस प्रदान करना है । परियोजना में "स्मार्ट" पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सुचारू उपयोगकर्ता अनुभव की परिकल्पना की गई है । इस प्रकार ई-न्यायालय तीसरा चरण देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित करने में परिवर्तनकारी साबित हो सकता है । ई-न्यायालय तीसरे चरण के विभिन्न घटकों में विरासत रिकॉर्ड के 3108 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी न्यायालय परिसरों में 4400 पूरी तरह से कार्यात्मक ईएसडब्ल्यूए केंद्रों और कृत्रिम बुद्धिमता/ /मशीन लर्निंग आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग सम्मिलित है । दूसरे चरण (2015-2023) के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आवंटित और उपयोग की गई धनराशि **उपाबंध-1** और तीसरे चरण (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए **उपाबंध-2** में दी गई है ।

(ग) से (ङ) : ई-न्यायालय परियोजना (राजस्थान और त्रिपुरा सहित) की कार्यान्वयन स्थिति का विवरण **उपाबंध-3** में दिया गया है । ई-न्यायालय तीसरे चरण के स्वीकृत डीपीआर के अनुसार, 2500 नए न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का 426.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से प्रावधान है ।

(च) : जी हां । ई-न्यायालय परियोजना पहले चरण और दूसरे चरण के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) द्वारा तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया है और प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- ई-न्यायालय परियोजना ने न्यायालयों में दायर मामलों की कुल संख्या में वृद्धि की है और ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जानकारी तक आसान पहुंच में सहायता की है ।
- ई-न्यायालय परियोजना के अधीन प्रदान की जाने वाली विभिन्न आईसीटी सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता के साथ उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की गई थी।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ई-समिति द्वारा खरीद प्रक्रिया अच्छी तरह से नियोजित है और सभी भुगतान समय पर प्राप्त होते हैं।
- न्यायाधीश अदालत के समय प्रबंधन में सुधार और ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप होने वाली जानकारी की पारदर्शिता से संतुष्ट हैं।
- 90-100% नमूना न्यायालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रावधान है और उन्होंने मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) स्थापित किया है ।
- न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों के उच्च अनुपात को सीआईएस, एनजेडीजी और हार्डवेयर के उपयोग में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। लगभग सभी उत्तरदाताओं की राय थी कि प्रशिक्षण बहुत उपयोगी थे ।
- केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस), जस्टिस मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) जैसी सेवाओं का उपयोग अक्सर किया जाता है और एक आसान उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस होता है ।
- अधिकांश न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारी का मानना है कि ई-न्यायालय परियोजना ने मामलों की लंबन को कम कर दिया है क्योंकि कानूनी मामलों तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप बेहतर शोध हुआ है ।
- 5 वर्षों से अधिक मामलों के लंबन ने वर्षों में धीमी लेकिन लगातार गिरावट प्रदर्शित की है ।
- 2017 के बाद से, जिला न्यायालयों की निपटारा दर में तेज वृद्धि भी देखी गई है ।

****

उपाबंध-1

ई-न्यायालय परियोजनाओं के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 853, जिसका उत्तर तारीख 26/07/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण । ई-न्यायालय परियोजना दूसरे चरण (2015-2023) के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र म सं.	उच्च न्यायालय	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23#	
		जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए	जारी किए गए	उपयोग किए गए
1	इलाहाबाद	31.14	31.14	20.88	20.88	20.57	20.27	8.07	7.96	15.04	13.63	13.79	10.22			0	0
2	आंध्र प्रदेश											1.96	1.96			0	0
3	बंबई	30.39	30.39	38.25	38.24	47.22	47.18	0.52	0.52	0	0	8.86	8.86			0	0
4	कलकत्ता	12.14	11.06	9.17	8.89	10.72	3.95	0.13	0.12	0	0	4.93	2.79			0	0
5	छत्तीसगढ़	3.82	3.82	6.03	6.03	9.34	9.34	1.33	1.33	4.44	4.44	2.34	2.34			0	0
6	दिल्ली	5.87	5.87	5.41	5.41	8.97	8.95	3.54	3.54	0	0	3	2.85			0	0
7	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	0.59	0.59	4.33	4.29	1.37	1.37	2.85	2.85	0.98	0.98	1.52	1.52	1.26	1.18	0	0
8	गुवाहाटी (असम)	5.19	5.19	25.47	25.47	8.13	8.13	8.7	8.7	13.68	13.68	6.11	6.02	3.49	3.48	0	0
9	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.71	0.71	3.01	2.95	2.47	2.47	0.15	0.15	0.51	0.43	0.72	0.69	0.3	0.25	0	0
10	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.77	0.77	2.31	2.31	1.83	1.83	0.71	0.71	0.7	0.7	0.83	0.83	0.84	0.84	0	0
11	गुजरात	11.23	11.23	18.32	17.17	29.06	23.84	10.73	9.88	0	0	3.48	3.09			0	0
12	हिमाचल प्रदेश	1.79	1.79	3.21	3.21	4.05	4.03	0.13	0.13	0	0	2	1.78			0	0
13	जम्मू-कश्मीर	1.84	1.84	5.29	5.29	10.59	10.59	0.26	0.26	0	0	1	1			0	0
14	झारखंड	3.2	3.2	5.09	5.09	2.92	2.92	4.53	4.53	5.53	5.53	2.98	2.84			0	0
15	कर्नाटक	11.86	11.86	17.43	17.43	22.04	22.04	0.61	0.61	9.15	9.15	4.29	4.29			0	0
16	केरल	5.53	5.53	8.32	8.32	14.73	14.73	4.61	4.61	0	0	2.83	2.83	1.58	1.58	0	0
17	मध्य प्रदेश	9.73	9.73	23.93	23.93	22.51	22.51	0.39	0.39	11.21	11.07	6.28	6.21			0	0
18	मद्रास	10.24	10.24	24.62	24.62	25.45	24.32	5.11	4.26	0	0	4.73	4			0	0
19	मणिपुर	0.53	0.53	4.24	4.23	1.19	1.18	0.65	0.65	0.61	0.6	1.3	1.28	0.76	0.75	0	0
20	मेघालय	0.19	0.19	3.26	3.26	3.65	3.65	0.62	0.62	0.92	0.88	2.32	2.11	2.23	1.76	0	0
21	ओडिशा	7.57	7.57	7.71	7.71	12.7	12.47	1.59	1.48	13.46	13.09	3.37	3.31			0	0
22	पटना	8.04	8.04	26.41	26.38	8.72	8.27	0.13	0.07	7.08	6.4	5.44	5.26			0	0
23	पंजाब और हरियाणा	11.63	11.63	17.92	17.92	11.54	11.54	8.49	8.49	0	0	4.55	4.55			0	0
24	राजस्थान	9.97	9.97	23.04	23.03	25.05	25.05	3.01	3.01	1.29	1.29	10.58	10.57	1.62	1.62	0	0
25	सिक्किम	0.18	0.18	1.8	1.75	1.4	1.39	0.8	0.78	1.61	1.18	1.01	0.97	0.77	0.6	0	0
26	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश**	13.9	13.9	14.31	14.24	33.95	32.37	8.13	8.13	0	0	0	0			0	0
27	तेलंगाना											1.79	1.6			0	0
28	त्रिपुरा	1.2	1.2	4.38	4.38	2.86	2.86	1.77	1.77	2.24	2.23	4.44	4.25	0.96	0.87	0	0
29	उत्तराखंड	2.98	2.98	2.66	2.66	4.6	4.49	0.13	0.13	0	0	1.28	1.12			0	0
कुल योग		**202.23**	**201.15**	**326.79**	**325.1**	**347.65**	**331.75**	**77.71**	**75.68**	**88.44**	**85.29**	**107.74**	**99.15**	**13.81**	**12.92**	**0**	**0**

* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपए अभ्यर्पित किए, कुल उपयोग में अभ्यर्पित निधि भी सम्मिलित थी ।

** तत्कालीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय को जारी की गई धनराशि तथा दोनों राज्यों ने उपलब्ध धनराशि को क्रमशः 58:42 के अनुपात में साझा किया ।

ई-न्यायालय के दूसरे चरण के अधीन निधि समाप्त हो चुकी थी और ई-कमेटी, एससीआई द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा था । इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई ।

उपाबंध-2

ई-न्यायालय परियोजनाओं के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 853 के, जिसका उत्तर तारीख 26/07/2024 दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण । ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण (वित्तीय वर्ष 2023-24) के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	2023-24	
		जारी की गई	उपयोग की गई
1	इलाहाबाद	95.87	95.87
2	आंध्र प्रदेश	25.44	25.44
3	बंबई	69.54	69.54
4	कलकत्ता	16.73	16.73
5	छत्तीसगढ़	16.27	16.27
6	दिल्ली	17.89	17.89
7	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	2.03	2.03
8	गुवाहाटी (असम)	24.97	24.97
9	गुवाहाटी (मिजोरम)	3.12	3.12
10	गुवाहाटी (नागालैंड)	1.79	1.79
11	गुजरात	27.72	27.72
12	हिमाचल प्रदेश	6.06	6.06
13	जम्मू-कश्मीर	6.52	6.52
14	झारखंड	10.59	10.59
15	कर्नाटक	32.37	32.37
16	केरल	15.40	15.40
17	मध्य प्रदेश	22.90	22.90
18	मद्रास	90.69	90.69
19	मणिपुर	11.12	11.12
20	मेघालय	3.33	3.33
21	ओडिशा	6.77	6.77
22	पटना	32.43	32.43
23	पंजाब और हरियाणा	14.58	14.58
24	राजस्थान	19.80	19.80
25	सिक्किम	1.71	1.71
26	तेलंगाना	22.03	22.03
27	त्रिपुरा	0.53	0.53
28	उत्तराखंड	13.68	13.68
कुल योग			**611.88**

उपाबंध-3

ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन प्रास्थिति के संबंध में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 425, जिसका उत्तर तारीख 26/07/2024 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण । देश में चालू ई-न्यायालय का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	617
3	बंबई	दादरा और नागर हवेली	3
		दमन और दीव	2
		गोवा	39
		महाराष्ट्र	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार दीप समूह	14
		पश्चिमी बंगाल	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	434
6	दिल्ली	दिल्ली	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	28
		असम	408
		मिजोरम	69
		नागालैंड	37
8	गुजरात	गुजरात	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	162
10	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	218
11	झारखंड	झारखंड	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	1031
13	केरल	केरल	484
		लक्षद्वीप	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	24
		तमिलनाडु	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	38
17	मेघालय	मेघालय	42
18	ओडिशा	ओडिशा	686
19	पटना	बिहार	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	30
		हरियाणा	500
		पंजाब	541
21	राजस्थान	राजस्थान	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	271
	कुल योग		**18735**

****